upload

तत्काल/स्पीड पोस्ट
सूचना का अधिकार मामला

सं0 22/5/2019–स्था.तीन/187-89.
भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग

3 ताल (दक्षिण), सेवा भवन
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली - 110066

दिनांक 5th फ़रवरी, 2019

सेवा में,

श्री नवनीत कुमार,
A-112, पालम विहार,
गुडगाँव - 122017.

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के अन्तर्गत श्री नवनीत कुमार, A-112, **पालम विहार, गुडगाँव** - 122017 **से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन।**

मान्यवर,

कृपया अपने सूचना के अधिकार आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2019 जो कि स्थापना-3 अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग में 15.02.2019 को प्राप्त हुआए का सन्दर्भ लें जिसके माध्यम से आपने विभिन्न बिन्दुयों के माध्यम से सूचना माँगी है ।

2. आपके द्वारा मांगी गई सूचना के सूचना के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि स्थापना-3 अनुभागए केन्द्रीय जल आयोग के सम्बन्ध में वांछित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है:

मद सं	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
1.	केंद्रीय जल आयोग विभाग में ग्रुप A, B एवं C अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर पालिसी किसने बनाई एवं किसकी गाइडलाइन से बनाई गई, इन सभी के लिए वर्तमान ट्रांसफर पालिसी किस कार्यालय आदेश एवं किस दिनांक को जारी की गई, कृपया विस्तार से बताएं ।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरंक्षण मंत्रलाय, के कार्यालय ज्ञापन सं0 ए.22011/3/2017 स्था.एक दिनांक 01 फरवरी, 2018 के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं0 3/4/2016-O&M/328 दिनांक 15.02.2018 के द्वारा सी डब्लयू इ एस (वर्ग क) अधिकारियों का स्थानांतरण पौलिसी जारी की गई ।
2.	उपरोक्त क्रमांक । के स्थानांतरण के लिए प्लेसमेंट कमेटी की संगरचना बताएं एवं यह भी बताएं कि क्या कमेटी इनके स्थानांतरण हेतु ट्रान्सफर पॉलिसी का शत प्रतिशत पालन करती है यदि नहीं तो क्यों । यदि ट्रांसफर पालिसी का उल्लंघन होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा ऐसी स्थति में भारत सरकार ने कमेटी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या नियम बनाये हैं, ऐसे नियम की प्रति उलब्ध कराएं ।	सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियंता के पद पर वर्ष 2019 के रोटेशनल स्थानांतरण के लिए गठित प्लेसमेंट कमेटी की संरचना संबंधी आदेश स्थानांतरण पौलिसी में निहित है । स्थानांतरण पालिसी यथा संभव लागु किया जाता है ।
3.	केंद्रीय जल आयोग विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, सहायक अधिशाषी अभियंता, उपमंडलीय अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एल.डी.सी., यू.डी.सी. कैडर में रोटेशनल ट्रांसफर वर्ष 2019 में किस माह तथा दिनांक तक किया जाएगा ।	सहायक निदेशक/सहायक अधिशासी अभियंता के पद पर वर्ष 2019 के रोटेशनल स्थानांतरण के आदेश दिनांक 05.02.2019 एवं 19.02.2019 के द्वारा किया गया ।

अगले पृष्ठ पर जारी......

मद सं	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
4.	क्या केंद्रीय जल आयोग विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, सहायक अधिशाषी अभियंता, उपमंडलीय अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एल.डी.सी., यू.डी.सी. कैडर में रोटेशनल ट्रांसफर वर्ष 2019 हेतु लांगेस्ट स्टेयी की लिस्ट जारी की गई यदि हां तो कब और यह भी बताएं कि क्या इनकी लांगेस्ट स्टेयी की लिस्ट केंद्रीय जल आयोग विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गयी, यदि हाँ तो किस दिनांक को । यदि उपरोक्त किसी कैडर की लांगेस्ट स्टेयी की लिस्ट यदि जारी नहीं की गई तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं केंद्रीय जल आयोग विभाग ने ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की, कृपया विस्तार से बताएं । तथा जारी की गई सभी कैडर की लांगेस्ट स्टेयी की लिस्ट उपलब्ध कराएं ।	सहायक निदेशक / सहायक अधिशासी अभियता के पद पर वर्ष 2019 के रोटेशनल स्थानांतरण के लिए लोंगेस्ट स्टेई की लिस्ट दिनांक 18.01.2019 के पत्र द्वारा जारी किया गया । केन्द्रीय जल आयोग की वेब साइट पर निम्न लिंक पर अपलोड की गई है http://202.159.215.252:83/DocumentUploadRoot/DocumentId_26820/longest_stayee0001.pdf
5.	क्या केंद्रीय जल आयोग विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मुख्य अभियंता, सहायक अधिशाषी अभियंता, उपमंडलीय अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, एल.डी.सी., यू.डी.सी. कैडर में रोटेशनल ट्रांसफर करने से पहले लांगेस्ट स्टेयी की लिस्ट ट्रांसफर पालिसी के नियमानुसार जारी करना जरूरी होता है । यदि लांगेस्ट स्टेयी की लिस्ट जारी किये बिना ही ट्रांसफर आर्डर जारी किया जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध केंद्रीय जल आयोग प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रावधान बनाया गया है, इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी कौन होता है तथा बनाये गए नियम की प्रति कृपया उपलब्ध कराएं ।	जे.टी.एस अधिकारियों का लौगेस्ट स्टेई स्थानांतरण से पूर्व जारी करना अनिवार्य है जो दिनांक 18.01.2019 को जारी किया गया ।
6.	केंद्रीय जल आयोग में नार्मल टेन्योर कितने समय का होता है एवं ऐसे केस में क्रमांक 5 में वर्णित कैडर में रोटेशनल ट्रांसफर कितने समय में किया जाता है एवं रोटेशनल ट्रांसफर का क्या क्राइटेरिया है कृपया विस्तार से बताएं । यह भी बताएं क्या रोटेशनल ट्रांसफर के क्राइटेरिया या ट्रांसफर पालिसी का इनके स्थानांतरण में पूर्णतया पालन किया जा रहा है । यदि नहीं तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही के क्या प्रावधान हैं कृपया इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु बनाए नियम की प्रति उपलब्ध कराएं । एवं ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होता है ।	तीन वर्ष। स्थानातरण से सबधित प्रावधान स्थानांतरण पौलिसी में निहित है । स्थानांतरण पैलिसी यथा संभव लागु किया जाता है । स्थानांतरण पालिसी की प्रति संलग्नित है ।
7.	केंद्रीय जल आयोग में NER टेन्योर कितने समय का होता है एवं ऐसे केस में क्रमांक 5 में वर्णित कैडर में रोटेशनल ट्रांसफर कितने समय में किया जाता है एवं रोटेशनल ट्रांसफर का क्या क्राइटेरिया है कृपया विस्तार से बताएं । यह भी बताएं क्या रोटेशनल ट्रांसफर के क्रिटेरिया या ट्रांसफर पालिसी का इनके स्थानांतरण में पूर्णतया पालन किया जा रहा है । यदि नहीं तो क्यों एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है एवं ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही के क्या प्रावधान हैं कृपया इस सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु बनाए नियम की प्रति उपलब्ध कराएं । एवं ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होता है।	सेवा के पहले 10 वर्षो के दौरान 3 साल और 2 साल उसके बाद । NER टेन्योर से संबंधित प्रावधान स्थानातरण पौलिसी में निहित है । रोटेशनल ट्रांसफर के क्रिटेरिया ट्रांसफर पालिसी में निहित है । स्थानांतरण पालिसी यथा संभव लागु किया जाता है ।
8.	उपरोक्त क्रमांक 7 के क्रम में यह भी बताएं कि क्या जो लोग NER में अपना टेन्योर 31 जुलाई तक पूरा कर लेते हैं उनका ट्रांसफर उसी वर्ष कर दिया जाता है एवं किस माह तक किया जाता है क्या ऐसे लोगों को चॉइस प्लेस दिया जाता है ।	स्थानांतरण पालिसी के दिशा निर्देश के अनुसार जारी किया जाता है ।

अगले पृष्ठ पर जारी......

मद सं	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
9.	दिनांक 31.07.2016 तक NER मे कितने EE/AEE/SDE/JE/UDC/LDC टेन्योर पूरा करने हेतु भेजे गए उनके नाम, पद नाम, किस कार्यालय से किस कार्यालय में पदस्थापित किये गए कृपया विस्तार से बताएं । क्या इन सभी कैडर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों अपना NER टेन्योर पूरा कर चुके हैं । इनमें से जो लोग NER का टेन्योर पूरा कर चुके हैं उनके नाम पद नाम, कार्यालय का नाम बताएं एवं उनके द्वारा किस दिनांक को NER टेन्योर पूरा किया गया । इनमें से कितने लोगों का स्थानांतरण ट्रांसफर पालिसी के नियमानुसार किया गया एवं किस आदेश द्वारा किया गया किस तिथि को, उसकी प्रति उपलब्ध कराएं । इसमें से जिन लोगों का NER टेन्योर पूरा नहीं हुआ है उनके नाम, पद नाम, कार्यालय का नाम बताएं एवं यह भी बताएं कि इन लोगों का NER टेन्योर किस दिनांक को पूरा होगा एवं इन लोगों का रोटेशनल ट्रांसफर किस माह में एवं किस दिनांक को किया जाएगा ।	माँगी गई सूचना अस्पष्ट है। यदि प्रार्थी चाहे तो पिछले वर्षो की स्थानांतरण संबंधी मिसिलों का निरीक्षण कर वांछित दस्तावेज छांट सकतें हैं।
10.	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा AEE/AD से EE/DD पद एवं AD-II/SDE से AD/AEE (ad-hoc) एवं JE से SDE पद पर वर्ष 2018 में जो प्रमोशन दिये गए क्या यह प्रमोशन भारत सरकार द्वारा लागू आरक्षण पॉलिसी के अनुसार दिये गए, क्या इन प्रमोशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया गया, यदि नहीं तो इसका कारण बताएं विस्तार से एवं संबन्धित दस्तावेजों सहित ।	वांछित सूचना प्रश्नात्मक है अतः सूचना के दायरे में नहीं आती। यदि प्राथी चाहे तो पिछले वर्षो की स्थानांतरण संबंधी मिसिलों का निरीक्षण कर वांछित दस्तावेज छांट सकतें हैं।
11.	उपरोक्त क्रमांक 10 के क्रम में यह भी बताएं कि उक्त पदों के प्रमोशन में किसी का नाम शेष रह गया है ऐसे लोगों का नाम, पद नाम, कार्यालय का नाम बताएं एवं इनको प्रमोशन कब तक दिया जायेगा ।	
12.	केन्द्रीय जल आयोग में ग्रुप A, B एवं C में जो अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति की तारीख से तथा पिछले 10 या 20 या 30 वर्षों से केवल एक ही कार्यालय/संगठन में पदस्थापित हैं ऐसे लोगों का स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है इसका कारण बताएं । क्या इन लोगों हेतु कोई ट्रान्सफर पॉलिसी लागू नहीं होती है क्या भारत सरकार ने इनके साथ कोई अनुबंध किया हुआ है यदि हाँ तो उसकी प्रति उपलब्ध कराएं यदि नहीं तो भी संबन्धित दस्तावेज़ उपलब्ध कराएं ।	केन्द्रीय जल आयोग में ग्रुप ए अधिकारी 10 या 10 वर्ष से अधिक एक ही कार्यालय/संगठन में पदस्थापित नही किया जाता है ।
13.	केन्द्रीय जल आयोग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रावधान हैं ग्रुप A, B, C एवं कार्यभारित पदस्थापना में, कृपया विस्तार से बताएं ।	मांगी गई सूचना स्थापना–3 अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग से संबंधित नहीं है ।

अगले पृष्ठ पर जारी......

मद सं	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
14.	केन्द्रीय जल आयोग में संवेदनशील पद कौन कौन से हैं, ऐसे पदों का नाम बताएं । संवेदनशील पदों पर किसी अधिकारी या कर्मचारी को कितने समय तक रखा जाता है ट्रान्सफर पॉलिसी अनुसार ।	मांगी गई सूचना स्थापना–3 अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग से संबंधित नहीं है । इस संबंध में CWC OM No. 4/12/2012-CM&V dated 05th October, 2012 की प्रति संलग्नित है ।
15.	क्या संवेदनशील पदों पर बैठे व्यक्तियों को उचित समय पर स्थानांतरण किया जा रहा है । यदि नहीं तो कारण बताएं ।	
16.	केन्द्रीय जल आयोग में मोटर व्हीकल ड्राईवर के भर्ती कब तक की जाएगी एवं भरती के क्या नियम हैं, प्रति उपलब्ध कराएं ।	मांगी गई सूचना स्थापना-3 अनुभाग केन्द्रीय जल आयोग से संबन्धित नहीं है ।
17.	केन्द्रीय जल आयोग में कुशल कार्य सहायक एवं मोटर बोट चालक की भर्ती कब तक की जाएगी एवं भर्ती के क्या नियम हैं, प्रति उपलब्ध कराएं ।	मांगी गई सूचना स्थापना-3 अनुभाग केन्द्रीय जल आयोग से संबन्धित नहीं है ।

3. यदि आप उपरोक्त दी गई जानकारी से संतुश्ट नही हैं, तो 'फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी' (First Appellate Authority) को जवाब मिलने के 30 दिन के अंदर निम्न पते पर अपील कर सकते है :–

श्री आशिस बनर्जी
सचिव एवं **फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी**,
केंद्रीय जल आयोग, तृतीय तल (दक्षिण),
सेवा भवन, रामकृश्ण पुरम, नई दिल्ली–110066
दूरभाःष : 011–26187232

संलग्न : यथोक्त

भवदीय,

(सचिन देव वर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव
☎: 29583319

प्रति:

1. नोडल अधिकारी एवं अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, आर0टी0आई0 सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 को उक्त विशयक आर0टी0आई0 पत्र दिनांक: 07/02/2019 (पंजीकरण नं0 सीडब्ल्यूसीएनडी/आर/2019/50018 दिनांक 07/02/2019) के संदर्भ में ।
2. Deputy Director, SM Dte., CWC with the request to upload the letter/reply on CWC website.